HARYANA STATE LOTTERIES

The 12th January, 1979

No. DOL/HR/TO/Kaithal/2175.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 142nd Draw held on 12th January, 1979 :—

1. Mrs. Indira Mittal,
   w/o
   Shri S. P. Mittal, I. A. S.,
   Deputy Commissioner, Kurukshetra.

2. Mrs Shanno Devi,
   w/o
   Shri Satya Dev Singh, I. P. S.,
   Senior Superintendent of Police,
   Kurukshetra.

3. Mrs. Bimla,
   w/o
   Shri R. P. Singh, H.C.S.,
   Sub-Divisional Magistrate,
   Kaithal.

4. Shri Y. P. Gupta,
   Superintending Engineer,
   A. B. C. Circle,
   Kaithal.

5. Shri Siri Krishan Rao, H.C.S.,
   Administrator,
   Municipal Committee,
   Kaithal.

R.L. SUDHIR, IAS,

Director of Lotteries and
Joint Secretary to Government, Haryana,
Finance Department, Chandigarh.

FINANCE DEPARTMENT

WAYS AND MEANS BRANCH

The 12th December, 1978

No. 34/11/78-6WM.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 233 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf and in partial modification of Haryana Government, Finance Department, Notification No. 2289-6WM-77/12529, dated the 29th April, 1977, the Governor of Haryana hereby orders that interest on Taccavi Loans granted by the Haryana Government for the purchase of seeds, fodder and cultivation through tractor out of the State Loans and Advances Account to the Agriculturists under the Agriculturists Loans Act, 1884 (Act XII of 1884) for the year 1977-78 shall be charged at the concessional rate of 3 per cent per annum, instead of 8 per cent per annum from the persons affected by floods and hailstorms, where damage to the crops on account of floods during 1977 and hailstorms in March, 1978, has been more than 50 per cent.

B. S. OJHA,

for Commissioner and Secy.

(REGULATIONS)

The 17th January, 1979

No. 1/8(2)/79-AC(FD).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules, Volume I Part I in its application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume I, Part I (Haryana Second Amendment) Rules, 1974.

2. In the Punjab Civil Services Rules, Volume I, Part I (hereinafter referred to as the said rules) for rule 8.20, the following rule shall be substituted, namely ;—

(a) "8.20 Leave to Government employees must not be granted without obtaining report from the Head of Office in which he is employed or if he is himself Head of the Office from his immediate superior, upon his title to leave, except in case of emergency and on the responsibility of the Government employee for the consequence of the leave asked for being inadmissible."

(b) in the said rules, the note under rule 8.20 shall be deleted.

3. In the said rules, for rule 8.51, the following rule shall be substituted, namely : —

"8.51. The Leave account of Government employee shall be maintained by the Head of the Office in which he is employed, or if he himself is Head of the Office by his immediate superior."

B. S. OJHA,
Commissinor & Secy.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 18 जनवरी, 1979

क्रमांक **2050-ज(II)-78/3041**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सीस राम, पुत्र श्री बालदास, गांव पूठी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, को रबी, 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1966-ज(II)-78/3053**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री निहाल सिंह, पुत्र श्री मोलड़ सिंह, गांव सुनारीकलां, तहसील व जिला रोहतक, को खरीफ, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 20 जनवरी, 1979

क्रमांक **2028-ज(I)-78/3471**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती गुरकौर, विधवा श्री चुहड़ सिंह, गांव मिलक सुखी, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमती वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **2061-ज(I)-78/3475**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती वसन्त देवी, विधवा श्री अमर नाथ, गांव बराड़ा, तहसील व जिला अम्बाला को रबी 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 22 जनवरी, 1979

क्रमांक **2047-ज(I)-78/3633**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(Iए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लखीराम, पुत्र श्री मेहर चन्द, गांव शाम कल्याण, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।